संख्या-14/2017/33 रिट/26-3-2017-3(15)/2007

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2017

विषयः उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक-21.12.2016 एवं 22.12.2016 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-2129/2017 डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांक-24.01.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-229/2016/436मंत्री/26-3-2016-3(1)/2016, टी0सी0, दिनांक-21.12.2016 एवं पत्र संख्या-234/2016/297 सी0एम0/26-3.2016-3(15)/2007, दिनांक-22.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मझवार समुदाय के पात्र व्यक्तियों को गोड़िया/मल्लाह आदि पिछड़ी जाति बताकर उन्हे मझवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है एवं प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर,राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

2- उक्त शासनादेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पी0आई0एल0 संख्या-2129/2017 डा0 बी0आर0 अम्बेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के मामले में योजित की गयी थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-24.01.2017 को सुनवाई की गयी तथा अन्तरिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः-

"Accordingly, the concerned officials, at district level, are directed not to issue any caste certificate on the basis of the Government Orders dated 21.12.2016 and 22.12.2016 till the next date of hearing."

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या-229/2016/436 मंत्री/26-3-2016-3(1)/2016, टी0सी0, दिनांक-21.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-234/2016/297 सी0एम0/26-3-2016-3(15)/2007, दिनांक-22.12.2016 को मा0 उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है।

भवदीय,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-14/2017/33 रिट (1)/26-3-2017 तद्दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1--मा0 महाधिवक्ता, उ0प्र0 लखनऊ।

2- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3- निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

9- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।